राजस्थान सरकार

मा.ला.वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः एफ (10)/सर्वे–मू.अ./टीआरआई/2016–17/ 189 दिनांकः 01–02–2017

योजनाओं के सर्वे/मूल्यांकन अध्ययन हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजना के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता एवं लाभान्वितों की जांच हेतु सर्वे, समंकों का संकलन एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सर्वे/मूल्यांकन कराया जाना है। इस हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित संस्थाओं से विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। सर्वे/मूल्यांकन अध्ययन किये जाने वाली योजना का विवरण निम्न अनुसार है :–

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	विभाग द्वारा संचालित जनजाति छात्रावासों में अध्ययन कर बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रावास छोड़कर जाने के बाद छात्र वर्तमान में क्या कर रहे है, विगत 3 वर्ष यथा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16.
2.	जनजाति विकास विभाग द्वारा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर के माध्यम से स्थापित किये गये बल्क मिल्क कूलर (B.M.C.) का क्या प्रभाव (Impact) रहा। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16.

आवेदन पत्र के साथ विस्तृत प्रस्ताव/कार्य विवरण निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करना होगा :–

1. सर्वे/मूल्यांकन कार्य चाहने वाले संस्थान का नाम, पता इत्यादि।
2. अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत विवरण, चयनित गांव, तहसील एवं जिले, सेम्पल साईज, सर्वे/मूल्यांकन की विस्तृत कार्य योजना, उद्देश्य, सर्वे उपकरण (अनुसूची/प्रश्नावली/निरीक्षण) इत्यादि।
3. सर्वे/मूल्यांकन कार्य का विस्तृत बजट–लागत, मदवार विवरण तथा स्टॉफ, आवर्ती व्यय, सर्वे पर व्यय इत्यादि।
4. कार्य सम्पन्न करने की अवधि, पूर्व परीक्षण (Pre-check) का विवरण।
5. संस्था एवं उसके मुख्य अनुसंधानकर्ता का कार्य अनुभव विवरण (संस्थान की स्थापना, प्रमुख गतिविधियां, पूर्व में किये गये सर्वे/मूल्यांकन कार्य का अनुभव।)

योजना की जानकारी इस संस्थान से ली जा सकती है।

अंतिम तिथि :

सादे कागज पर कम्पयुटरीकृत प्रस्ताव के साथ दिनांक 16–02–2017 तक आवेदन प्रस्ताव टी.आर.आई. कार्यालय में स्वयं अथवा डाक द्वारा प्रेषित किये जावे। अधूरी जानकारी वाले एवं समय पर प्राप्त नहीं होने वाले आवेदन प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। सर्वेकर्ता/मूल्यांकनकर्ता संस्था का चयन साक्षात्कार एवं प्रस्तुतिकरण के आधार पर निर्धारित समिति द्वारा किया जावेगा। चयनित आवेदक प्रस्तावित सर्वे/मूल्यांकन कार्य निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत करेंगे जिनकी जानकारी संस्थान द्वारा अथवा वेबसाईट "www.tad.rajasthan.in से प्राप्त की जा सकती है।

(बी.एल.कटारा)
निदेशक

कार्यालय उपयोग हेतु

विज्ञप्ति क्रमांकः एफ (10)/सर्वे–मू.अ./टीआरआई/2016–17/ 189 दिनांकः 01–02–2017

के क्रम में जारी योजनाओं के सर्वे/मूल्यांकन अध्ययन हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण बाबत् टर्म्स एण्ड कंडीशन्स

1. सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत आदेश जारी होने की तिथि से 8 माह में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आयुक्त महोदय की अनुसंशा पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
3. सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी निर्धारित अवधि एवं निर्धारित बजट लागत पर कार्य समय पर पूर्ण करेंगे। निर्धारित अवधि से 30 दिन तक की देरी होने पर स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत एवं इससे अधिक देरी होने पर 25 प्रतिशत तक राशि की कटौती की जावेगी।
4. सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी जानकारी असत्य पायी जाती है तो कार्यादेश निरस्त कर उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
5. संस्थागत आवेदकों के लिये पंजीकृत संस्थान होना आवश्यक है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों के लिये पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
6. सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी को योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी, तथ्य अपने स्तर पर प्राप्त करने होंगे।
7. सम्पूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं होने, अधूरी जानकारी देने तथा असंतोषप्रद परिणाम वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है।
8. सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से 15 दिवस पूर्व अन्तरिम रिपोर्ट टी.आर.आई. में प्रस्तुत करनी होगी तथा विभाग द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट में शामिल करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।
9. कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन की व्यवस्था करना सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी का दायित्व है। विभाग/टी.आर.आई इसके लिये उत्तरदायी नहीं है।
10. सर्वे/मूल्यांकन कार्य में किया जाने वाला व्यय सरकार के सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार होना चाहिये।
11. सर्वे/मूल्यांकन कार्य के प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में टी.आर.आई. को सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराना होगा तथा विभाग को समय–समय पर सर्वे/मूल्यांकन कार्य का क्षेत्र में जाकर जांच करने का अधिकार होगा।
12. सर्वे/मूल्यांकन एजेन्सी को अपने क्षेत्रीय कार्य प्रारम्भ करने की पूर्व सूचना टी.आर.आई. को अनिवार्यतः देनी होगी ताकि विभाग द्वारा उसकी आवश्यकता अनुसार जांच की जा सके।
13. आवंटित बजट राशि का उपयोग आवर्ति व्ययों पर ही किया जाय। स्थायी सामग्री पर किया गया व्यय स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की स्थाई सामग्री क्रय की जाती है तो टी.आर.आई. से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी एंव राशि रुपये 250/– (दो सौ पचास) से अधिक की सभी स्थायी सामग्री संस्थान के स्टोर में कार्य समाप्ति पश्चात् जमा करानी होगी।
14. स्वीकृत राशि का भुगतान निम्नानुसार 3 किश्तों में देय होगा :
    1. प्रथम किश्त (कार्य प्रारम्भ करने की सूचना पर) 10 प्रतिशत
    2. द्वितीय किश्त अन्तरिम प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर 40 प्रतिशत
    3. अंतिम किश्त का भुगतान कार्य पूर्ण एवं संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।

    अंतिम किश्त का भुगतान संस्थान में सर्वे/मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं वास्तविक व्यय राशि का उपयोगिता **प्रमाण–पत्र** तथा मूल बिलों की फोटो प्रति मय मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर देय होगी।

15. सर्वे/मूल्यांकन कार्य पर प्रकाशन का अधिकार जनजाति विकास विभाग के पास सुरक्षित है। सर्वे/मूल्यांकनकर्ता एजेन्सी बिना, अनुमति के कोई भी तथ्य प्रकाशित नहीं कर सकता है तथा उसका अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकता है। अन्यथा उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

16. अधोहस्ताक्षरकर्ता को नियमों एवं शर्तों में बिना पूर्व सूचना परिवर्तनकरने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में जनजाति विकास विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

17. सर्वे/मूल्यांकन एजेन्सी को राशि का व्यय उसी कार्यक्रम पर करना होगा जिसके लिये राशि स्वीकृत की गयी है।

18. सर्वे कार्य समाप्ति के पश्चात् कोई राशि बचत होने पर टी.आर.आई. को पुनः लौटानी होगी।

19. सर्वे/मूल्यांकन एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संस्थान को कार्य प्रारम्भ करने की सूचना एवं दिशा– निर्देश प्राप्त करने होंगे एवं दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी।

20. सर्वे/मूल्यांकन एजेन्सी को सर्वे/मूल्यांकन प्रतिवेदन हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हार्ड–बाईण्ड 5 प्रतियों में एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी होगी तथा निष्कर्ष एवं सुझाव की 5 प्रतियां पृथक हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करनी होगी।

21. यदि सर्वे/मूल्यांकन अध्ययनकर्ता द्वारा राशि का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं यिका जावेगा तो स्वीकृति को निरस्त किया जाकर उनसे मूल राशि एक मुश्त 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रथम किश्त की भुगतान तिथि से वसूल कर ली जावेगी।